दिनांक	आज्ञा पत्र
16.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। पत्रावली सा.पत्र T.I जवाब के लिये 22.10.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर
22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी [illegible] को बार-बार अवसर दिये गये लेकिन व्यापक [illegible] तक हाजिर नहीं आये। अतः अब फैसली व अन्य हायते के जारिये निर्णय किया जाता है इसलिए अब आदेश पत्र अध्याय 212 RT Act प्रार्थी को आगे पत्रावली पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आदेश पत्र अध्याय 212 RT Act प्रार्थी अब फैसली व अन्य हायते के जारिये निर्णय किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही आगे अमल हेतु निर्णय पत्रावली। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर